

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 जुलाई 2017—आषाढ़ 12, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्र. एफ-ए-3-49-2017-1-पांच (68).—राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक के अनुसरण में, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करती है कि सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका वार्षिक आवृत्त नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन कोड) के अंकों का वर्णन इस अधिसूचना के प्रभावी होने के दिनांक से, अन्यथा अधिसूचित होने तक, इस अधिसूचना के अधीन जारी कर-बीजक में करेंगे :—

सारणी

क्रम सं. (1)	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में वार्षिक आवृत्त (2)	एचएसएन कोड के अंकों की संख्या (3)
1	एक करोड़ पचास लाख रुपए तक	कुछ नहीं
2	एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक और पांच करोड़ रुपए तक.	2
3	पांच करोड़ रुपए से अधिक	4

2. यह अधिसूचना तारीख 1 जुलाई 2017 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्र. एफ-ए-3-49-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ.ए.3-49-2017-1-पांच (68), दिनांक 03 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 3<sup>rd</sup> July 2017

No. F-A-3-49-2017-1-V-(68).—In pursuance of the first proviso to Rule 46 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby, notifies that all the registered persons having annual turnover as specified in column (2) of the Table below shall mention the digits of HSN Codes, from the effective date of this notification unless notified otherwise, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in a tax invoice issued by them under the said rules :—

TABLE

Serial Number (1)	Annual Turnover in the preceding Financial Year (2)	Number of Digits of HSN Code (3)
1.	Upto rupees one crore fifty lakhs	Nil
2.	More than rupees one crore fifty lakhs but upto rupees five Crores.	2
3.	More than rupees five Crores	4

2. This Notification shall be deemed to have come into force from 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.